

17-11-17

पञ्जाबली पेश हुई। बार-बार आताज दिल्ली
गई कोर्ट समप समाप्त होने को है परन्तु
अपीलान्त की तरफ से पैरवी हेतु कोई
उपायचिन्ता नहीं है मत। अपीलान्त की अफस
दफ्तरी अदम पैरवी में अपील रजिस्ट्रार
की गई। पञ्जाबली फॉर्सल शुमार टैकर
दर्ज नम्बर से कम है। आदेश खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक